

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1420/11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर ०८, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के अंतर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्वीकृत पैकेज सं०-यू०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित ऑनलाइन प्रस्ताव इस आशय से प्रेषित है, कि कृपया विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट ऑनलाइन अपलोड है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल ऑनलाइन अपलोड है।
5. प्रस्तावित वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
6. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश ऑनलाइन अपलोड है।
7. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
8. एन०पी०वी० गणना एवं एन०पी०वी० जमा किये जाने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
9. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
10. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड है।
11. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन अपलोड है।
12. प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
13. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड है।
14. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड है।
15. परियोजना में बाधक वृक्षों का व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन अपलोड है।
16. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड है।
17. प्रकरण 1.0 पोर्टल से सम्बन्धित है, जिस कारण से परियोजना जाँच समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
18. On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

संलग्नक:- संस्तुति पत्र।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1420 / 11-सी-FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र।

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)	ecf, Mirzapur की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है। 18
----	---	--

दिनांक:- 8/12/23
स्थान

हस्ताक्षर Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
नाम Forest Conservation Act. 1980
सरकारी मोहर U.P. Lucknow